

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS

राजस्व वाद संख्या ..... 183/12 .....

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

पेमाराम खेतराम  
नार कुचामन

तहसीलदार कुचामन

वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 17/12/12

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री पेमाराम पुत्र खेतराम जाति नार निवासी कुचामन तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम शेरडा के खाता संख्या/खसरा नम्बर 01 में श्री पेमाराम पुत्र खेतराम जाति नार अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड में सही नाम पेमाराम पुत्र खेतराम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रिकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट संलग्न है। वादी ने अपने नाम का रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। वादी के वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम शेरडा तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर ..... 01 में खातेदार वादी श्री पेमाराम पुत्र खेतराम निवासी शेरडा की जगह वादी का सही नाम पेमाराम पुत्र खेतराम जाति नार निवासी शेरडा दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/12/12 को सरे आम कैम्प में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)